

बिहार मानवाधिकार आयोग
9, बेली रोड, पटना 15

to be uploaded
on website

सूचना

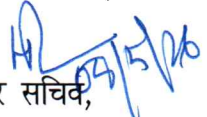
पत्रांक- BHRC/लेखा- 35/2024 **8551** पटना, दिनांक **8/05/2026**

निदेशानुसार वर्ष 2025 का 200 (दो सौ) प्रति वार्षिक प्रतिवेदन के छपाई कार्य किया जाना है। दिनांक 15.05.2026 को 4.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से Quotation अलग-अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

क्र०सं०	पुस्तक का विवरणी	संख्या	कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि
01	वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2025)	200 (दो सौ) प्रति	15.05.2026 4.00 बजे अपराह्न

वार्षिक प्रतिवेदन का मुद्रण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्यदिवस को कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रकाश्य वार्षिक प्रतिवेदन की विशिष्टियाँ की शर्त, उपबंधों सहित अन्य विस्तृत जानकारी आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट एवं आयोग के वेवसाईट (www.bhrc.bihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।


अपर सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना
४

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना 15

सूचना

पत्रांक- BHRC/लेखा- 35/2024

पटना, दिनांक

2026

निदेशानुसार वर्ष 2025 हेतु 200 (दो सौ) प्रति वार्षिक प्रतिवेदन के छापाई का किया जाना है। दिनांक 15.05.2026 को 4.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से Quotation अलग-अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिसका आकार एवं शर्तें निम्नवत् है :-

(i) वार्षिक प्रतिवेदन (Booklet) :-

1. वार्षिक प्रतिवेदन की 200 प्रतियाँ जिसमें कवर पृष्ठ जी०एस०एम० 300 आर्ट पेपर या अधिक पर बहुरंगी छापाई होगा। वार्षिक प्रतिवेदन का Layout Designing भी मुद्रक के द्वारा की जानी होगी।
2. वार्षिक प्रतिवेदन मल्टीकलर प्रिंट पॉलिस्टर लैमिनेशन होगा।
3. वार्षिक प्रतिवेदन का साईज A4 संभावित है।
4. वार्षिक प्रतिवेदन के छापाई के पश्चात अच्छे से प्रति प्रतिवेदन को प्लास्टिक में पैकिंग कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. वार्षिक प्रतिवेदन 20 पृष्ठ संभावित है।

नोट :-

- (i) उपर्युक्त सामग्रियों से संबंधित कोई जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में अपर सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से मिलकर जाना जा सकता है।
- (ii) प्रकाशय सामग्रियों की साईज में आवश्यकतानुसार कमी/ वृद्धि की जा सकती है।
- (iii) वार्षिक प्रतिवेदन पर मुद्रित होने वाले लोगो (Logo)/ थीम की गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी संबंधित चयनित फर्म को करनी होगी एवं तत्संबंधी लोगो (Logo)/ थीमों का अनुमोदन आयोग से प्राप्त कर लेना होगा।
- (iii) जी० एस० टी० पंजीकरण से संबंधित अभिलेख।

अपर सचिव

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

४

o/c